भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1053

उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

एथलीटों का कल्याण

1053. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान और सेवानिवृत्त एथलीटों के कल्याण के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा एथलीटों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): सरकार वर्तमान और सन्यास ले चुके खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पहले से ही निम्नलिखित स्कीम लागू कर रही है:

i. 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस) स्कीम खिलाड़ियों/कोचों और आर्थिक बदहाली में रह रहे उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के दौरान चोट के उपचार, खिलाड़ियों के कल्याण, खेल उपकरणों की खरीद और स्पर्धाओं आदि में भागीदारी के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii. 'मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन हेतु खेल निधि स्कीम', ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सक्रिय खेल करियर से सन्यास के बाद 12,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह तक की आजीवन पेंशन के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

*****